न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 162/2024
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः— 88 आरटीए

कुलदीप सिह पुत्र गुरजण्ट सिह जाति जटसिख सा.सिहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. रिछपालकौर पत्नी गुरजण्ट सिह जाति जटसिख सा.सिहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. गुरजीत सिह पुत्र गुरजण्ट सिह जाति जटसिख साकिन सिहपुरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ।
3. वीरपाल कौर पुत्री गुरजण्ट सिह जाति जटसिख साकिन सिहपुरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ।
4. काला सिह पुत्र दलीप सिह जाति जटसिख साकिन शाहपीनी तह.संगरिया जिला हनुमानगढ।
5. विजय सिह पुत्र अवतार सिह पुत्र दलीप सिह जाति जटसिख साकिन शाहपीनी तह.संगरिया।
6. मनजिन्द्र सिह पुत्र तेजा सिह पुत्र दलीप सिह जाति जटसिख साकिन शाहपीनी तह.संगरिया।
7. भोलासिह पुत्र तेजा सिह पुत्र दलीप सिह जाति जटसिख साकिन शाहपीनी तह.संगरिया।
8. मलकीत सिह पुत्र जोरावर सिह उर्फ हजारा सिह जाति जटसिख साकिन शाहपीनी तह.संगरिया।
9. लखवीर सिह पुत्र जोरावर सिह उर्फ हजारा सिह जाति जटसिख साकिन शाहपीनी तह.संगरिया।
10. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :— श्री नक्षत्र सिह सिद्धू अधिवक्ता वादी
श्री चरणजीत सिह सिद्धू अधिवक्ता प्रतिवादी सख्या 1 ता 3

निर्णय दिनांक :— 10.12.2024

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि चक 21 एएमपी खाता संख्या 124/87 दलीप सिह वगैरा ज.स. 2070—73 में दलीप सिह, हजारा सिह पि. अमर सिह के नाम आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। कुल आराजी का विवरण निम्न प्रकार से है चक 21 ए.एम.पी. खाता संख्या 124/87 में दर्ज कुल 0.253 है. आराजी दावा की दफा 2 में दर्ज आराजी दलीप सिह, हजारा सिह पि.अमर सिह के नाम दर्ज है राजस्व रिकार्ड है। दलीप सिह, हजारा सिह पि.अमर सिह फौत हो गये है जिनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 ही है। दलीप सिह, हजारा सिह पि. अमर सिह ने अपने जीवनकाल में उक्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 21.04.1973 को उक्त आराजी गुरजण्ट सिह पुत्र इन्द्र सिह जाति जटसिख सा.सिहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ को बेचान कर दी थी। जिसका राजस्व रिकार्ड में अंकन [illegible] है। बैयनामा की फोटोप्रति संलग्न वाद पत्र है। गुरजण्ट सिह पुत्र इन्द्रसिह फौत हो [illegible] वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ही है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने गुरजण्ट सिह पुत्र इन्द्रसिह के फौत होने के बाद अपने विरासतन हे व हिस्सा का परित्याग वादी के पक्ष में कर दिया है। उक्त आराजी मे प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का कोई हक व हिस्सा शेष नही है। चक 21 ए.एम.पी.खाता संख्या 124/87 खाता दलीप सिह वगैरा ज.स. 2070—2073 की कुल 0.253 है. आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है इसमें प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 का कोई हक व हिस्सा नही है। राजस्व रिकार्ड से दलीप सिह,

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.12.24 15:00:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

जारा सिह पि. अमर सिह का नाम कलमजन किया जाकर इस खाता की कुल 0.253 है. आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इसी कदर की घोषणात्मक डिक्री वादी प्राप्त करने का अधिकारी एव दावेदार है। दावा की दफा 3 व 4 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करवा अपना दावा की दफा 5 के अनुसार अपना खाता अलग कायम करवाना चाहता है। कब्जाकाश्त बाबत कोई विवाद नही है। लेकिन उक्त आराजी उक्तानुसार वादी के नाम दर्ज नही होने के कारण वादी के खातेदारी अधिकारो पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा इस बाबत निवेदन किया किन्तु वे पहले तो टालमटोल करते रहे लेकिन पिछले वादी के इस निवेदन से स्पष्ट इन्कारी हो गये। बस यही विनाय दावा है। दलीप सिह, हजारा सिह पि. अमर सिह फौत हो गये है। उनके वारिसान को उक्त दावा मे बतौर प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 के रूप में पक्षकार बनाया गया है। उनके प्रति कोई प्रत्यक्ष अनुतोष नही चाहा गया है।

लिहाजा बाद तहकीकात वाद वादी बहक प्रतिवादीगण निम्न से डिक्री फरमाया जावे कि चक 21 ए.एम.पी. खाता संख्या 124/87 खाता दलीप सिह वगैरा ज.स. 2070–2073 की कुल 0.253 है. आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। इसमें प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 को कोई हक व हिस्सा नही है। उक्त चक के उक्त खाता से दलीप सिह, हजारा सिह पि.अमर सिह का नाम कलमजन किया जाकर इस खाता की कुल 0.253 है. आराजी राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

उक्त दावा पेश होने पर तथा सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया, तथा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश कर वाद को स्वीकार किया। प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 बावजूद सूचना उपस्थित नही आये। प्रतिवादी संख्या 10 की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया। साक्ष्य वादी मे वादी कुलदीप सिह ने अपना शपथ पत्र अ.आ.18 नियम 4 सीपीसी पेश कर साक्ष्य के साथ फार्म नम्बर 3 मे वर्णित अनुसार चक 21 ए.एम.पी. खाता संख्या 124/87 खाता दलीप सिह वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति एवं बैयनामा दिनांक 21.04.2024 दलीप सिह, हजारा सिह पि.अमर सिह जाति जटसिख शाहपीनी फोटोप्रति पेश की गई। जो शामिल पत्रावली है। वकील वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी व प्रतिवादी बन्द किये गये।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 21 एएमपी खाता संख्या 127/87 मे दर्ज आराजी प्रतिवादी संख्या 4 ता [illegible] दलीप सिह, हजारा सिह पि.अमर सिह से हमारे पूर्वज गुरजण्ट सिह पु[illegible] [illegible] एव प्रतिवादी खरीद की हुई भूमि है व प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 बावजूद सू[illegible] [illegible] संख्या 1 ता 3 सहमत है इसलिए वाद को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.12.24 15:00:04 IST
Reason: SelfAttested

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 के पूर्वज दलीप सिह, हजारा सिह पिसरान अमरसिह के नाम चक 21 एएमपी के खाता संख्या 124/87 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पूर्वज गुरजण्ट सिह पुत्र इन्द्र सिह की जरिये रजिस्ट्र्ड बैयनामा क्रय की गई भूमि है जिसकी पुष्टि वादी द्वारा प्रस्तुत बैयनामा की फोटोप्रति से हो रही है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने आपस में आराजी क़ी घोषणा बाबत सहमति के जवाब दावा पेश किया है एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 बावजूद सूचना उपस्थित नही हुये है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। तथा मुताबिक बैयनामा दलीप सिह, हजारा सिह पि. अमर सिह का नाम कलमजन कर वादी कुलदीप सिह को प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी उक्त विवेचन के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:– चक 21 एएमपी खाता संख्या 124/87 खाता दलीप सिह वगैरा ज.स. 2070–73 में प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 पूर्वज दलीप सिह, हजारासिह पि. अमर सिह के नाम दर्ज आराजी का वादी कुलदीप सिह पुत्र गुरजन्ट सिह को खातेदार काश्तकार घोषित कर उनके नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 के पूर्वज दलीप सिह, हजारा सिह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.12.24 15:00:04 IST
Reason: SelfAttested

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88 आरटीए

प्रकरण संख्या:– 162/2024

कुलदीप सिंह पुत्र गुरजण्ट सिंह जाति जटसिख सा.सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. रिछपालकौर पत्नी गुरजण्ट सिंह जाति जटसिख सा.सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. गुरजीत सिंह पुत्र गुरजण्ट सिंह जाति जटसिख साकिन सिंहपुरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ।
3. वीरपाल कौर पुत्री गुरजण्ट सिंह जाति जटसिख साकिन सिंहपुरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ।
4. काला सिंह पुत्र दलीप सिंह जाति जटसिख साकिन शाहपीनी तह.संगरिया जिला हनुमानगढ।
5. विजय सिंह पुत्र अवतार सिंह पुत्र दलीप सिंह जाति जटसिख साकिन शाहपीनी तह.संगरिया।
6. मनजिन्द्र सिंह पुत्र तेजा सिंह पुत्र दलीप सिंह जाति जटसिख साकिन शाहपीनी तह.संगरिया।
7. भोलासिंह पुत्र तेजा सिंह पुत्र दलीप सिंह जाति जटसिख साकिन शाहपीनी तह.संगरिया।
8. मलकीत सिंह पुत्र जोरावर सिंह उर्फ हजारा सिंह जाति जटसिख साकिन शाहपीनी तह.संगरिया।
9. गुरतखवीर सिंह पुत्र जोरावर सिंह उर्फ हजारा सिंह जाति जटसिख साकिन शाहपीनी तह.संगरिया।
10. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष आखरी इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री चरणजीत सिद्धू वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है:– चक 21 एएमपी खाता संख्या 124/87 खाता दलीप सिंह वगैरा ज.स. 2070–73 में प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 पूर्वज दलीप सिंह, हजारासिंह पि. अमर सिंह के नाम दर्ज आराजी का वादी कुलदीप सिंह पुत्र गुरजन्ट सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित कर उनके नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 के पूर्वज दलीप सिंह, हजारा सिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोट :– यदि वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा मुकदमें के मय

निज....X.....नल.......X...मुब्लिक...X.......निल.........X......

सूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूली तक X .... को जारी किया गया।

बतारीख मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक....10.12.2024......

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.12.24 15:00:04 IST
Reason: SelfAttested